न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 42/2017 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2017/00048)

गुलकन्दी पत्नी स्व0 श्री भंवरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रामबेटी वेवा श्री जगनसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार भरतपुर।
3. सरस्वतीकलां एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर जरिये अध्यक्ष अरूण गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति वैश्य निवासी प्रताप कॉलोनी कुम्हेर गेट भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्टस

4. मानसिंह
5. विजय

पिसरान श्री भंवरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

6. मछला पुत्री श्री भंवरसिंह पत्नि वासुदेव जाति लोधा निवासी डडुकरा तहसील किरावली जिला आगरा उ0प्र0

.....तरतीवी रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.1.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 206 वाकै ग्राम अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर दिनांक 6.2.2013

उपस्थितिः–

1. श्री अरविन्दसिंह निमेश वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 17.4.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.1.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 6.2.2013 स्व0 मोहनसिंह पुत्र भमरी की विरासत का रामबेटी पत्नी मोहनसिंह के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 6.2.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर ने बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट गुलकन्दी की अपील यह कहते हुये खारिज कर दी गई कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकिल प्रोसिंडिग है। इस कार्यवाही में किसी के हक हकूक तय नहीं किये जाते है। जहां तक प्रश्न मृतक मोहनसिंह के उत्तराधिकारी का है, यह

17.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावे में तय होना है। अतः अपील खारजि की जाती है। जिला कलक्टर भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2017 के खिलाफ ये अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील मे वर्णित तथ्यों का हवाला देकर बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम अचलपुरा तहसील भरतपुर में मोहनसिंह नाम का व्यक्ति अपाहिज था तथा उसका स्वर्गवास लावल्द विला औरत हुआ है। उसके प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में मात्र उसकी माता गुलकन्दी है एवं दो भाई एवं एक बहिन रही है। मोहनसिंह की मृत्यु के उपरान्त मोहनसिंह के बडे भाई जगनसिंह की पत्नी रामबेटी ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर एवं सरपंच मुरवारा से साजिश कर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराकर फर्जी रिपोर्ट के आधार पर अपने आपको मृतक मोहनसिंह की तथाकथित पत्नि बनकर मोहनसिंह के हिस्से की आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम गलत तरीके से तस्दीक कराकर विवादित आराजी को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को एक नुमाइशी बयनामा करा दिया गया। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतकरण की अपील अपीलान्ट की ओर से न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष चुनौती दी थी, किन्तु जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट की अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2017 से खारिज कर दिया, जो त्रुटीपूर्ण है। हर दो लायक अदालत तहत ने मृतक मोहनसिंह के वारिसान की जांच किये बिना दाखिल खारिज संख्या 206 बाकै ग्राम अचलपुरा तहसील भरतपुर को तस्दीक करने में कानूनी भूल की है तथा इस तथ्य पर माननीय कलक्टर ने भी गौर ना करने में भारी कानूनी भूल की है। लायक हर दो अदालत तहत ने राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान जो दस्तावेज तैयार किये हैं उन दस्तावेजों को हर दो लायक तहत अदालतों ने अनदेखा कर कानूनी भूल की है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामबेटी एवं सरपंच ग्राम पंचायत मुरबारा द्वारा गलत रिकार्ड तैयार किया है। इस गलत रिकार्ड को आधार मानकर विवादित दाखिल खारिज तस्दीक करने में कानूनी भूल की गई है। अपीलान्ट मृतक मोहनसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है, लेकिन मोहनसिंह की आराजी का दाखिल खारिज रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में गलत तस्दीक करने में कानूनी भूल की है क्यों कि रामबेटी मृतक जगनसिंह की विवाहिता पत्नी है, जिसका मृतक मोहनसिंह के वारिसों में रैस्पोडेन्टस संख्या 1 का कहीं नम्बर नहीं आता है। रामवेटी के नाम जो दाखिल खारिज गलत तस्दीक किया है, उससे रामवेटी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाबजूद रामबेटी ने विवादित आराजी को गलत तरीके से नुमाइशी बयनामा कराया है, जो कि गलत है। इस आधार पर वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करने व हर दो लायक तहत अदालत के आदेश क्रमशः जिला कलक्टर भरतपुर तारीखी 30.1.2017

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.4.20
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

एवं तहसीलदार भरतपुर दिनांक 6.2.2013 निरस्त किए जाने व मृतक मोहनसिंह के वारिसान की विधिवत जांच किये जाने के बाद पुनः नए सिरे से नामांतकरण खोले जाने का आदेश दिए जाने की इस्तदुआ की।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 206 दिनांक 06.02.2013 एवं जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरुद्ध अपील इस आधार पर पेश की गई है कि तहसीलदार द्वारा मृतक मोहनसिंह के वारिसान की विधिवत जांच किए बिना नामांतकरण तस्दीक किया है। जिला कलक्टर, भरतपुर ने भी अपीलाधीन आदेश में इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के साथ संलग्न नामांतकरण संख्या 206 दिनांक 06.02.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण पटवारी हल्का द्वारा खोले जाने पर इसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा किए गए अंकन को सही होना बताया। इस आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में उक्त नामांतकरण स्वीकार किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में रैस्पोडेन्ट रामबेटी के मृतक मोहनसिंह की पत्नी नहीं होने का उल्लेख करते हुए स्वयं को मृतक मोहन सिंह का वारिस होना बताकर नामांतकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने की इस्तदुआ की है। जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2017 में अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 206 मृतक मोहनसिंह की विरासत का रामबेटी पत्नी मोहनसिंह के नाम प्रशासन गांव के संग अभियान में जांच कर स्वीकार किया गया है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि आया रामबेटी मृतक मोहनसिंह की पत्नी है या नहीं पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति निर्णय दिनांक 11.11.2014 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर के अनुसार पक्षकारान ने इन बिन्दुओं को सक्षम न्यायालय में उठाया है। सक्षम न्यायालय में दावे का निर्णय होना है। नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है। इस कार्यवाही में किसी के हक हकूक तय नहीं किए जाते हैं। जहां तक मृतक मोहनसिंह के उत्तराधिकार का प्रश्न है तो यह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावे में तय होना है। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में दिए गए उपरोक्त अभिमत में किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसमें किसी भी पक्षकार के हक हकूक तय नहीं किए जाते हैं। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। जहां तक मीमो आफ अपील में वर्णित यह तथ्य कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामबेटी व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गलत रिकार्ड तैयार किया गया है। वह इस रिकार्ड के आधार पर नामांतकरण गलत स्वीकार किया गया है

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथा रैस्पोडेन्ट मृतक मोहनसिंह की पत्नी नहीं होकर उसके भाई जगनसिंह की पत्नी है, तो इस संबंध में हमारा भी विनम्र अभिमत यही है कि किसी भी पक्षकार के हक हकूक नामांतकरण संबंधी कार्यवाही के माध्यम से तय नहीं किए जा सकते। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2014 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा इसी विषयवस्तु पर सिविल न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। इसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सी.पी.सी के आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 का प्रार्थाना पत्र स्वीकार कर दोनों पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया गया है कि वे वादग्रस्त सम्पति की स्थिति यथावत रखेंगे। अर्थात उभयपक्षकारान के मध्य हक हकूक के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में उठाए गए बिन्दुओं का भी निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में नामांतकरण संबंधी प्रकिया के माध्यम से हक हकूक तय किए जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार को पुनः भिजवाए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2017 व तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 206 ग्राम अचलपुरा तहसील भरतपुर दिनांक 06.02.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर